भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3481

(दिनांक 17.03.2021 को उत्तर के लिए)

निचले स्तर की नौकरियों के लिए साक्षात्कार

3481. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी सेवा में निचले स्तर की नौकरियों के लिए साक्षात्कार बंद करने का निर्णय लिया है और योग्यता परीक्षा के आधार पर भर्ती करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने अपने मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ-कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 01 जनवरी, 2016 से सभी समूह 'ग', समूह 'घ' (जिन्हें अब समूह 'ग' में पुनः वर्गीकृत किया गया है), समूह 'ख' (अराजपत्रित) तथा सभी समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु साक्षात्कार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01.01.2016 अथवा उसके बाद अधिसूचित की गई सभी रिक्तियों को ऐसे पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के भाग के रूप में साक्षात्कार लिए बिना भरा जाएगा।

चूंकि कौशल परीक्षा अथवा शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार से अलग होती है, इसे जारी रखा गया है। तथापि, ये परीक्षाएं केवल अर्हक प्रकृति की हैं।

विशिष्ट पदों के मामलों में यदि कोई मंत्रालय/विभाग विशेष साक्षात्कार को अनिवार्य रूप से आवश्यक मानता है, तो वहां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की अनापति आवश्यक होती है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें भी आगे आई है और कनिष्ठ स्तर पदों पर साक्षात्कार समाप्त करने हेतु कदम उठाने आरंभ किए है। अभी तक, 24 राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने कनिष्ठ स्तर के पदों पर साक्षात्कार समाप्त करने की नीति को अंगीकार किया है।

*****